संख्या-895/78-1-2016-25/2012 टी0सी0-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2 कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3 निदेशक, आईआईटी कानपुर।
4 निदेशक, आईआईएम लखनऊ।
5 निदेशक, एनआईटी इलाहाबाद।
6 निदेशक, आईआईआईटी इलाहाबाद।
7 निदेशक, आई.टी. बी.एच.यू. वाराणसी।
8 समस्त राजकीय इन्जीनियरिंग संस्थान/महाविद्यालय, उ0प्र0।
9 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 09 अगस्त,2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.5.1. **"इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन"** में व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा नये इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिन्हें विज्ञान एवँ प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यमान इन्क्यूबेटर्स के साथ-साथ, शासकीय संस्थानों/संगठनों में संचालित किया जायेगा। उक्त नीति के प्रस्तर 3.3.5.2 में इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप्स के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों का प्राविधान निहित है।

3- इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप्स के लिए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के अन्तर्गत एक स्टार्ट-अप कार्पस निधि (Start up Corpus Fund)) का प्रारम्भ प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप परितंत्र (ecosystem) को सहायता देने के लिए इस कोष की प्रारम्भिक पूंजी रू0 100 करोड़ होगी। स्टार्ट-अप परियोजना को रू0 15,000/- प्रतिमाह एक वर्ष तक भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा तथा स्टार्ट-अप द्वारा किसी ज्ञात एवं पँजीकृत एन्जेल इनवेस्टर/वेन्चर फण्ड/प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तपोषण सुनिश्चित कर लेने के बाद, स्टार्ट-अप को उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए विपणन/व्यवसायीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहायता के रूप में, वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू0 10 लाख जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जायेगी। इसके सम्बन्ध में पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

4- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत स्टार्ट अप/इन्क्यूबेटर्स को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

4.1 मेजबान संस्थानों को रू0 25.00 लाख की अधिकतम सीमा सहित, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप के लिए 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जायेगा।

4.2 यही सीमा मौजूदा इन्क्यूबेटर्स को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढ़ीकरण हेतु भी, वर्तमान क्षमता के 2 वर्ष तक उपयोग के प्रतिबन्ध सहित, अनुमन्य होगी।

4.3 मेजबान संस्थानों द्वारा इन्क्यूबेटर्स स्थापित किये जाने हेतु रू0 25.00 लाख से अधिक धनराशि की मांग पर केस-टू-केस बेसिस पर सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

4.4 इन्क्यूबेटर्स को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रू0 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

4.5 चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा मानदेय के आधार पर रू0 2.00 लाख वार्षिक तक भुगतान पर कम से कम दो एवँ अधिकतम 5 परामर्शदाता/उपदेशक (mentors), शैक्षणिक/विक्रय/विपणन/वित्त/तकनीकी विकास/ व्यवसाय नियोजन/निवेश क्षेत्र से नियुक्त किये जा सकेंगे। प्रति मेन्टर रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष की सहायता शासन द्वारा 5 वर्ष तक प्रदान की जायेगी।

5- <u>अनुदान हेतु संस्थानों की पात्रता तथा उनसे अपेक्षायें।</u>

- प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्टार्ट-अप परितंत्र को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए तकनीकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थानों (आईआईटी/एनआईटी/ आई.आई.एम./राजकीय इन्जीनियरिंग कालेजों/ अन्य शासकीय संस्थानों) जैसे शासकीय मेजबान (Host) संस्थानों में नये इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- द्वितीय चरण में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के तकनीकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थानों में नये इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।
- चयनित इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स को निम्नवत् सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे:-
  - √ कार्यालय स्थान तथा सहभागी प्रशासनिक सेवायें (office space and shared administrative services)
  - √ प्रशिक्षण अथवा उच्च गति इन्टरनेट सम्पर्क जैसी सेवायें (services such as training or High-Speed Internet access)
  - √ नेटवर्किंग कार्यकलाप तथा विपणन सहायता (Networking activities and Marketing assistance)
  - √ उच्च शैक्षणिक संसाधनों से सम्पर्क (Links to higher education resources)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- **<u>प्रोत्साहन अवधि।</u>**

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, इन्क्यूबेटर्स का परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

7- **<u>आच्छादन।</u>**

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

8- **<u>परिभाषायें।</u>**

8.1 "वर्ष" का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

8.2 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅं स्टार्ट-अप नीति-2016 के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० को कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8.3 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी०आई०यू०) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅं स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

8.4 "स्टार्ट-अप (Start-Up)": निम्न शर्तों की पूर्ति करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगाः-

(क) अपने निगमन/पॅजीयन की तिथि से 5 वर्ष तक।

(ख) संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पॅजीकृत हो।

(ग) वह प्रौद्योगिकी (technology) अथवा बौद्धिक सम्पदा (intellectual property) द्वारा चालित नये उत्पादों, प्रक्रियाओं (processes) अथवा सेवाओं के व्यवसायीकरण (commercialization) के लिए किसी नवाचार (innovation), विकास, फैलाव (deployment) हेतु कार्यरत हो।

(घ) प्रतिबन्ध यह होगा कि पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्निमाण के फलस्वरूप बनी किसी संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) नहीं माना जायेगा।

8.5 "संस्था (entity)" से आशय (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथापारिभाषित) किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, अथवा (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अन्तर्गत) पंजीकृत एक साझेदारी फर्म अथवा (लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत) लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी फर्म से है।

9- **<u>इन्क्यूबेटर्स के चयन एवं पूंजीगत अनुदान देने की प्रक्रिया</u>**

9.1 संस्थान द्वारा (निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'अ' पर) प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

9.2 संस्थान द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा संस्थान से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

9.3 कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा, प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

9.4 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। मेजबान संस्थान को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवँ शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

9.5 मेजबान संस्था को दी जाने वाली अनुदान धनराशि दो समान किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम किश्त के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप की 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का भुगतान संस्थान को, उसके द्वारा किए जाने वाले समानुपातिक व्यय तथा शासन द्वारा दी गई प्रथम किश्त की 70 प्रतिशत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

9.6 मेजबान संस्था को स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका सत्यापन कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

10- **<u>इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति की प्रक्रिया।</u>**

10.1 परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु संस्थान द्वारा (निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'अ' पर) अपने आवेदन-पत्र, आवश्यक दस्तावेजों सहित, वार्षिक आधार पर कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा एवं परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

10.2 आवेदन-पत्र के साथ, संस्थान के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक-लेखे से हानि-लाभ लेखे की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

10.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त परिचालन व्ययों से हुई हानि की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता अवमुक्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5 लाख प्रति वर्ष होगी।

10.4 किसी वित्तीय वर्ष में परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी।

11- **<u>परामर्शदाता/उपदेशक को मानदेय धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया।</u>**

11.1 संस्थान द्वारा परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) का पैनल तैयार किया जायेगा। इसे कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत कर परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) की नियुक्ति करने के पूर्व पैनल पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, तथा यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा कि उसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) के रूप में किस विशिष्ट क्षेत्र (शैक्षणिक/विक्रय/विपणन/वित्त/तकनीकी विकास/व्यवसाय नियोजन/निवेश क्षेत्र) के विशेषज्ञ की सेवायें वांछनीय हैं।

11.2 परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) को मानदेय धनराशि हेतु (निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'अ' पर) आवेदन-पत्र, एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा एवँ अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

11.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को मानदेय धनराशि वास्तविक आधार पर, रू0 2.00 लाख वार्षिक तक भुगतान पर कम से कम दो एवँ अधिकतम 5 परामर्शदाता/उपदेशक (mentors), शैक्षणिक/विक्रय/विपणन/वित्त/तकनीकी विकास/व्यवसाय नियोजन/निवेश क्षेत्र से नियुक्त किये जायेंगे। प्रति मेन्टर रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष की सहायता शासन द्वारा 5 वर्ष तक प्रदान की जायेगी। किसी वर्ष में संस्थान को प्रदत्त मानदेय धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अगले वर्ष हेतु देय मानदेय धनराशि अवमुक्त की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध के समय यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि नियुक्त परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) किस स्टार्ट-अप इकाई को परामर्श प्रदान कर रहे हैं तथा स्टार्ट-अप किस चरण (stage) में है।

12- <u>पात्र संस्थान के दायित्व।</u>

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए पात्र संस्थान द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी)/पी.आई.यू./आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

13- <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार।</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

14- <u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड।</u>

संस्थान द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्थान द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-895(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

6- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

7- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

8- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।

9- निदेशक, उद्योग कानपुर, उ०प्र०।

10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

11- निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०।

13- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(हरीराम)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(संस्थान के लेटर पैड पर)

सेवा में,

कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–अ) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने संस्थान की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

तिथिः

संस्थान के प्रमुख/प्रधानाचार्य द्वारा नामित इन्क्यूबेटर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

स्थानः

अनुलग्नक–अ

मेजबान संस्थानों तथा इन्क्यूबेटर्स (नवीन/विद्यमान) का विवरण
भाग–अ : मूलभूत सूचनायें

मेजबान संस्थान का विवरण

मेजबान संस्थान (Host Institution) का नाम :

मेजबान संस्थान का पता :

पिन कोड

स्थापना का वर्ष :

दूरभाष नँः वेबसाइटः फैक्सः

संस्थान प्रमुख का विवरण

नाम : पदनाम

सम्पर्क हेतु नँ : ई–मेल

इन्क्यूबेटर का विवरण

विद्यमान इन्क्यूबेटर **(Existing Incubator)**	नवीन/प्रस्तावित इन्क्यूबेटर **(New/Proposed Incubator)**
इन्क्यूबेटर की संक्षिप्त रूपरेखाः	**इन्क्यूबेटर की संक्षिप्त रूपरेखाः**
स्थापना का वर्ष	**इन्क्यूबेटर हेतु स्थापना का प्रस्तावित वर्ष**
इन्क्यूबेटीज को अनुमन्य की गई इन्क्यूबेशन अवधि	**इन्क्यूबेटीज को अनुमन्यता हेतु प्रस्तावित इन्क्यूबेशन अवधि**
विद्यमान इन्क्यूबेटर के विशेष जोर वाले क्षेत्र • मोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी ☐ • इन्टरनेट से सम्बन्धित, ई–कॉमर्स ☐ • इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन/ वीएलएसआई डिजाइन ☐ • सू0प्रौ0/इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में कोई मौलिक विचार/प्रौद्योगिकी ☐ • अन्य, कृपया स्पष्ट करें ☐	**प्रस्तावित इन्क्यूबेटर के विशेष जोर वाले क्षेत्र** • मोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी ☐ • इन्टरनेट से सम्बन्धित, ई–कॉमर्स ☐ • इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन/ वीएलएसआई डिजाइन ☐ • सू0प्रौ0/इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में कोई मौलिक विचार/ प्रौद्योगिकी ☐ • अन्य, कृपया स्पष्ट करें ☐
विद्यमान इन्क्यूबेटर के लिए अन्य संगठनों/ संस्थानों के साथ किये गये सहयोग/ साझेदारी का विवरण	**इन्क्यूबेटर के लिए अन्य संगठनों/ संस्थानों के साथ प्रस्तावित सहयोग/ साझेदारी का विवरण**

भाग–ब : इन्क्यूबेटीज को प्रदत्त / प्रस्तावित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें

प्रदत्त आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें			
नाम	विवरण (संख्या / स्थान)	कुल धनराशि (रु)	मॉगी गई पूँजीगत अनुदान की धनराशि
Server			
Router			
UPS			
Networking/ Cabling			
Switches			
Racks			
Firewall			
WiFi Access Points			
Others, please specify			
पूँजीगत अनुदान की कुल धनराशि			

प्रस्तावित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें			
नाम	विवरण (संख्या / स्थान)	कुल धनराशि (रु)	मॉगी गई पूँजीगत अनुदान की धनराशि
Server			
Router			
UPS			
Networking/ Cabling			
Switches			
Racks			
Firewall			
WiFi Access Points			
Others, please specify			
पूँजीगत अनुदान की कुल धनराशि			

पूँजीगत अनुदान

मेजबान संस्थान द्वारा क्षमता विस्तार हेतु वॉछित कुल धनराशि : रु.......................................

मेजबान संस्थान द्वारा प्रस्तावित इन्क्यूबेटर हेतु वॉछित कुल धनराशि : रु.......................................

इन्क्यूबेटर (नवीन / प्रस्तावित) के अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम :

पदनाम :

मोबाइल नॅ0 : ई–मेलः

इन्क्यूबेटीज (यदि हों तो) का विवरण

नाम :

इन्क्यूबेशन की अवधि :

प्रवर्तक(ों) का नाम एवं सम्पर्क हेतु नं0 :

कम्पनी का विवरण :

उत्पाद / सेवायें :

वेबसाइट :

टिप्पणीः इन्क्यूबेटीज की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें

भाग–स : परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित विवरण

विवरण	प्रथम वर्ष में दावा की गई धनराशि	द्वितीय वर्ष में दावा की गई धनराशि	तृतीय वर्ष में दावा की गई धनराशि	चतुर्थ वर्ष में दावा की गई धनराशि	पॅचम वर्ष में दावा की गई धनराशि

मेजबान संस्थान को परिचालन व्ययों की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु वॉछित कुल धनराशि :

रु ....

पिछले 3 वर्षों में अर्जित आय/राजस्वः
(कृपया अपने संस्थान के लाभ–हानि लेखे की, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित, प्रति प्रस्तुत करें)

भाग–द : परामर्शदाता/ उपदेशक (mentors) को मानदेय

क्रम सं	परामर्शदाता/ उपदेशक (mentor) का नाम	परामर्शदाता/ उपदेशक (mentor) का पदनाम	परामर्शदाता/ उपदेशक (mentor) से सम्पर्क हेतु विवरण (मोबाइल/ई–मेल पता)
प्रस्तावित परामर्शदाता/उपदेशक का विस्तृत वैयक्तिक विवरण (CV/Resume) संलग्न करें।			

परामर्शदाता/ उपदेशक (mentors) को कुल मानदेय की धनराशिः रु ....

तिथिः

संस्थान के प्रमुख/प्रधानाचार्य द्वारा नामित इन्क्यूबेटर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर